

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9162/2026

CNR: RJHC010653322026

URN: CRLMB / 19871U / 2026

1. Bhawani Singh Alias Bhom Singh S/o Murli Singh, Aged About 24 Years, R/o Rajputo Ka Bass, Kund, P.S. Kaprda, District Jodhpur, Presently R/o Bhawani Nagar, Sangariya, P.S. Kudi, District Jodhpur. (Lodged In Central Jail Jodhpur)
2. Jethusingh S/o Premsingh, Aged About 24 Years, R/o Ajasar, P.S. Nachna, District Jaisalmer. (Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Trilok Singh

For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

22/07/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना रातानाडा, जिला जोधपुर नगर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 189(4), 126(2), 119(1) व 307 भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की कोई शिनाख्ती कार्यवाही नहीं करवाई गई। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। हॉस्टल के तीस-चालीस लड़कों द्वारा आकर मारपीट करना प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाया गया है। कोई बरामदगी प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से नहीं हुई है। कोई विशिष्ट चोट प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना नहीं बताया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त

भवानीसिंह दिनांक 30.06.2026 से तथा प्रार्थी-अभियुक्त जेतुसिंह दिनांक 29.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने तथा बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण नामजद नहीं हैं। आहतगण द्वारा यह बताया गया कि कानाराम को अभियुक्तगण के नाम उसके परिचित ने बताए थे, किस परिचित ने बताए, यह नहीं बताया। व्यक्तिगत रूप से आहतगण प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जानते हों, ऐसा नहीं बताया है। इस मामले में कोई शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं हुई है। तीस-चालीस लड़कों द्वारा मारपीट करना बताया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. भवानीसिंह उर्फ भोमसिंह पुत्र मुरलीसिंह तथा 2. जेतुसिंह पुत्र प्रेमसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J